केन्द्रीय विद्यालय संगठन

णिक्षा मत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत संस्थान संभागीय कार्यालय, कोलकाता ई॰वी॰ ब्लॉक, सैक्टर-1, लाबोनी साल्ट लेक, कोलकाता – 700064





KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

An Autonomous Body under Ministry of Education. Govt. of India

Regional Office, Kolkata, EB Block, Sector J. Laboni, Salt Lake, Kolkata, 700064

Ph: 033 23376998 (DC) 23219490 (ACs)

Email: kvskolkata64@gmail.com acadrokolkota@gmail.com

Web: https://rokolkata.kvs.gov.in/

फ.25331/2024-25/के.वि.सं.(क्षे.का.)/कोल/शैक्षिक/ ६८२ - ८९७०

दिनांक: 15.05.2024

By E-Mail

प्राचार्य /The Principal समस्त केन्द्रीय विद्यालय / All Kendriya Vidyalaya कोलकाता संभाग / Kolkata Region

विषय/Sub.:

Commencement of process of Admission to Class-XI for the session 2024-25.

महोदया/महोदय, Madam/Sir,

सत्र 2023-24 के लिए कक्षा-X के परिणाम 13 मई 2024 को घोषित किए गए थे। केवि छात्रों के लिए प्रवेश प्रिक्रिया तुरंत शुरू की जानी चाहिए और कक्षाएं 21 जून 2024 से शुरू होनी चाहिए (यूबीआई पोर्टल में फीस का भुगतान लंबित रखते हुये)। आपसे अनुरोध है कि सत्र 2024-25 के लिए कक्षा-XI में प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

The results of Class-X for the session 2023-24 were declared on 13th May 2024. The admission process for KV students should be taken up immediately and classes should commence w.e.f. 21st June 2024 pending the payment of fees in the UBI portal. You are requested to follow the following instructions while finalizing the list of candidates selected for admission to Class-XI for the session 2024-2025.

1. कृपया केविएस प्रवेश दिशानिर्देश 2024-25 के भाग-सी: पैरा-9 (पृष्ठ 16-18) को सावधानीपूर्वक पढ़ें और प्रवेश अनुसूची का अक्षरशः पालन करें। Please go through Part-C: Para-9 (Page 16-18) of KVS Admission Guidelines 2024-25 meticulously and follow the Admission Schedule in letter and spirit.

क्र.सं.	गतिविधि/ Activity	निर्धारित तिथियाँ / Scheduled Dates
1	For KV students: Registration for admission in class XI.	Within 10 days after declaration of class X results (Up to 24.05.2024)
2	KV students: Display of admission list & admissions for Class-XI.	Within 20 days after declaration of class X results. (Up to 03.06.2024)
3	Non-KV students: Registration, display of admission list & admissions in class XI (Subject to availability of vacancies)	After the admissions of KV students in class XI.
4	Last date of admission for class - XI.	30 days from the date of declaration of class-X results by CBSE. (Up to 12.06.2024)

2. प्रवेश दिशानिर्देशों की विषय वस्तु को कक्षा-11 में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी छात्रों और अभिभावकों के ध्यान में लाया जाना है। यह विद्यालय के सूचना पट्ट पर, दिशानिर्देशों के प्रासंगिक पृष्ठों की एक प्रति चिपकाकर किया जा सकता है। The content of the Admission Guidelines has to be brought to the notice of all the students and parents willing to take admission in Class-XI. This can be done by pasting a copy of the relevant pages of the guidelines on the notice board.

- 3. किसी भी व्यावसायिक विषय में बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों को लिए बिना छात्र द्वारा प्राप्त 500 (प्रमुख विषयों) में से प्राप्त अंकों को लेकर मेरिट सूची तैयार की जानी है। The merit list has to be prepared by taking the marks obtained by the student out of 500 (major subjects) without taking the marks obtained by the child in any of the vocational subjects.
- 4. वे छात्र जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर खेल-कूद / स्काउटिंग और गाइडिंग / एन.सी.सी. / साहिसक गतिविधियों में भाग लिया उन्हें प्रवेश के लिए अंकों की रियायत @ 2% / 4% / 6% दी जानी चाहिए (पृष्ठ संख्या 17 देखें)। अधिकतम रियायत कुल 6% अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। Those students who participated in Games & Sports Meet/Scouting & Guiding/NCC/Adventure activities at various levels should be given concession of marks for admission @2%/4%/6% (Refer Page No. 17). The maximum concession should not exceed 6% marks in aggregate.
- 5. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./सी.डब्ल्यू.एस.एन. से संबंधित छात्रों को कक्षा -11 में प्रवेश के उद्देश्य से कुल 4% अंकों से अपग्रेड किया जाएगा। Students belonging to SC/ST/OBC/CwSN would be given upgradation in aggregate by 4% Marks for the purpose of admission to Class-XI.
- 6. प्रवेश के लिए रियायतें देते समय मूल प्रमाण पत्र को विद्यालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। जहां तक जाति प्रमाण पत्र का संबंध है, बच्चे के नाम पर जारी प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाना है। While giving concessions for admission the original certificate has to be verified by the Vidyalaya. As regards caste certificate, the certificate issued in the name of the child has to be verified.
- 7. ऐसा हो सकता है कि बच्चा एससी/एसटी से संबंधित हो, लेकिन उसने शुल्क रियायत का दावा नहीं किया हो और यह यूबीआई/सीबीएसई पोर्टल पर दिखाई न दिया हो। उन छात्रों और माता-पिता को यदि वे अपने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए रियायत का दावा करते हैं तो उन पर विचार किया जाना चाहिए। It may happen that the child belong to SC/ST, but she/he might not have claimed fee concession and the same might not have been reflected in the UBI /CBSE portal. Those students and parents in case they claim concession for admission to Class-XI based on their caste certificate should be entertained.
- 8. अंकों के लिए रियायत देने के बाद अंतिम मेरिट सूची को विद्यालय नोटिस बोर्ड के साथ-साथ सभी छात्रों और अभिभावकों की जानकारी के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है। The final merit list after giving concession for marks has to be displayed in the Vidyalaya notice board as well as in the website for information of all the students and parents.
- 9. 2023-24 के दौरान विद्यालय से कक्षा-दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्र जो कक्षा-XI में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उन्हें वरीयता क्रम में स्ट्रीम और विषयों के चयन के लिए एक विकल्प फॉर्म दिया जा सकता है। मेरिट सूची की घोषणा से पहले माता-पिता की सहमति से छात्रों से स्ट्रीम का विकल्प लिया जाएगा। All the students who have passed Class-X examination from the Vidyalaya during 2023-24 willing to take admission in Class-XI may be given an option form for selection of stream and subjects in order of preference. Choice of stream will be taken from students with parent consent before declaration of merit list.
- 10. विकल्प फॉर्म भरने के बारे में जानकारी सभी छात्रों को सूचित की जानी चाहिए और विद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है कि जानकारी सभी छात्रों / माता-पिता तक पहुंच गई है। The information regarding filling of option forms has to be communicated to all the students and the Vidyalaya may take necessary action to ensure that the information has reached all the students/parents.
- 11. विभिन्न धाराओं में अंतिम सूची प्रति अनुभाग 40 की अधिकतम संख्या तक तैयार की जा सकती है। एक बार एक स्ट्रीम में सीटें समाप्त हो जाने के बाद, छात्रों को उनसे एक वचन प्राप्त करके उस विद्यालय में दूसरी उपलब्ध स्ट्रीम में प्रवेश लेना होगा। The final list in different streams may be prepared up to maximum strength of 40 per section. Once the seats exhausted in one stream, students have to take admission in the other available stream in that Vidyalaya by obtaining an undertaking from them.

- 12. अन्य केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रवेश की अनुमित नहीं दी जा सकती है यदि वह संकाय जो उस केंद्रीय विद्यालय में उपलब्ध है, जहाँ से उसने 2023-24 के दौरान दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है। Students studying in other Kendriya Vidyalaya may not be entertained for admission if the stream is available in the KV from where she/he has passed Class-X examination during 2023-24.
- 13. संभाग के निम्नलिखित विद्यालयों (जो कक्षा-X तक हैं) के छात्रों को उनके सामने उल्लिखित विद्यालयों में कक्षा-XI में प्रवेश के लिए विकल्प प्रपत्र दिया जा सकता है और बच्चे का नाम संयुक्त योग्यता सूची में आना चाहिए। The students of the following Vidyalayas of the Region which are up to Class-X may be given option form for admission in Class-XI in the Vidyalayas mentioned against them and the name of the child should figure in the combined merit list.

क्र.सं.	केविका नाम / Name of KV	आवंटित विद्यालय / Vidyalaya allotted
1	Aradhpur (BSF)	Malda (NHPC)
2	Baikunthpur (BSF)	Sevoke Road and Sukna
3	Bandel	Bamangachi and No.2 Kanchrapara
4	Kharagpur Rly. Colony	No.2 Kharagpur
5	Krishnanagar (BSF)	Ranaghat
6	Teesta (NHPC) Rambi	Sevoke Road and Sukna

14. संभाग के निम्नलिखित विद्यालयों (जो कक्षा-XI/XII तक हैं) के छात्र, उन्हें उन संकायों के लिए विकल्प प्रपत्र भी दिया जा सकता है जो उनके विद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं और बच्चे का नाम संयुक्त योग्यता सूची में आना चाहिए। The students of the following Vidyalayas of the Region which are up to Class-XI/XII may also be given option form for the streams which are not available in their Vidyalaya for admission in Class-XI in the Vidyalayas mentioned against them and the name of the child should figure in the combined merit list.

क्र.सं.	केविका नाम / Name of KV	आवंटित विद्यालय / Vidyalaya allotted
1	Bolpur	Birbhum (for Science only)
2	Kankinara	No.1 Kanchrapara (for Science & Commerce)

15. प्राचार्य गैर-केवि बच्चों को केवल माता-पिता की श्रेणी की प्राथमिकता के क्रम के अनुसार, निर्धारित कक्षा संख्या के भीतर अर्थात प्राथमिकता श्रेणियों के अनुसार नए दाखिले के लिए 32 के अनुसार ही प्रवेश दे सकते हैं। Principal may admit non-KV children to Class-XI only according to the order of priority of category of the parents, within the class strength prescribed i.e., 32 for fresh admissions as per the Priority Categories.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है । This issues with the approval of competent authority.

भवदीय/Yours faithfully,

(संजीव सिन्हा/SANJIB SINHA) सहायक आयुक्त/Assistant Commissioner